

Court No. - 13

Case :- CRIMINAL APPEAL No. - 1428 of 2024

Appellant :- Nand Lal

Respondent :- State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Lko. And 11 Others

Counsel for Appellant :- Vikas Verma

Counsel for Respondent :- G.A.

Hon'ble Saurabh Lavania,J.

1. Heard learned counsel for the appellant, learned AGA for the State and perused the record.
2. By means of instant appeal preferred under Section 14-A(1) of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (in short "SC/ST Act"), the appellant has assailed the order dated 29.02.2024 passed by the Special Judge SC/ST Act, Ambedkar Nagar (in short "trial court"), whereby, the trial court rejected the protest petition filed by the appellant against the final report dated 12.10.2010, in Warrant or Summons Criminal Case No. 52 of 2021 arising out of Case Crime No. 446 of 2010, under Sections- 147, 352, 434, 447, 427, 506 IPC and Sections- 3(1)X SC/ST Act, Police Station- Jaitpur, District-Ambedkar Nagar. The appellant has also prayed that Investigating Officer concerned be directed to re-investigate the Case Crime No. 446 of 2010.
3. Brief facts of the case are to the effect that on 04.06.2006 in compliance of order passed by the Consolidation Officer, Jalalpur, the possession of plot nos. 501, 493, 493/1, 493/2, 495, 496, situated at Shahpur village Shahpur, was provided to the complainant/appellant after carrying out the measurement by the

concerned Kanoongo and Lekhpal and in the presence of Police Inspector concerned and his team and thereafter 11 persons namely Shri Deo Yadav, Indresh, Ram Surat, Ram Chet, Budhai, Tribhuwan, Mahendra, Trishuldhari, Jiyalal, Kiskaul and Harinath, disturbed the possession provided by the revenue officials and also assaulted the complainant/appellant and his family members and made casteist remarks and also used abusive language, however the FIR was not lodged by the concerned police officer. Thereafter, the complainant/appellant preferred an application under Section 156(3) Cr.P.C. (in short 'complaint') before the competent court of jurisdiction (in short 'trial court').

4. Before the trial court the statement of complainant was recorded, as required under Section 200 Cr.P.C., which is on record as Annexure No. 4. The statement of complainant dated 19.08.2016 reads as under:-

"गवाह नन्दलाल पुत्र भगेलू उम्र 68-69 वर्ष निवासी ग्राम शाहपुर थाना जैतपुर जिला अम्बेडकरनगर ने स्वयं उपस्थित होकर बहलफ बयान किया कि—

पैमाईश हुई थी। पैमाईश में खूंटा गड़ा था। मेरे गांव के श्रीदेव, इन्द्रेण, रामसूरत, हरिनाथ, त्रिशूलधारी जियालाल किनकौल, त्रिभुवन, महेन्द्र, रामचेत, बुधिराम ये लोग खूंटा उखाड़कर फेक दिये। मेड़ गिरा दिये। घटना का सम्बन्ध में मैंने परगनाधिकारी को प्रा० पत्र दिये। परगनाधिकारी आदेशानुसार मैं थानाध्यक्ष जैतपुर को प्रा० प० दिये। वहां से कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक अम्बेडकरनगर को प्रा० पत्र दिया। कोई कार्यवाही नहीं हुई। पुनः तीसरी बार एस०पी० साहब के यहां प्रा० पत्र दिया। उनके आदेश पर एफआईआर० दर्ज हुई। परन्तु डिप्टी एस०पी० महोदय ने उस पक्ष से प्रभावित होकर एफ०आर० लगा दिये। उसके बाद भी वो लोग हमें जाति सूचक शब्दों से गाली देते हैं।

बयान सुनकर तस्दीक किया।

मेरे द्वारा स्वयं बयान लिखा गया।"

5. A perusal of the statement of complainant indicates that complainant has not supported the allegations levelled in the complaint including the allegations attracting the provisions of SC/ST Act of 1989.

6. Before the trial court the statements of witnesses/namely Ranjeet and Jagjeet both sons of complainant/appellant as required under Section 202 Cr.P.C., were also recorded, wherein they also not supported the allegations as levelled in the complaint.

7. It would be appropriate to take note of the fact that 11 persons assaulted the complainant/appellant and his family members but no one sustained injury.

8. The trial court after considering the facts on records as also the statement recorded before it in terms of Sections 200 Cr.P.C. and 202 Cr.P.C., observed that it appears that to a civil dispute the complainant/appellant wants to cloak of criminal offence and also that there are discrepancies between the statements made by the complainant as also the witnesses of the complainant and no independent witness was produced before the trial court, and thereafter rejected the complaint in exercise of power vested under Section 203 Cr.P.C.

9. In the aforesaid background of the case, the present application has been filed.

10. It is stated by learned Counsel for the appellant that trial court has wrongly rejected the application preferred by the complainant. It is for the reason that before the trial court the case was established by the witnesses produced by the complainant/appellant. However, he could not dispute that complainant/appellant himself not supported the entire facts as indicated in the complaint i.e. application preferred under

Section 156(3) Cr.P.C., in his statement made before the trial court in terms of Section 200 Cr.P.C.

11. Learned A.G.A., opposing the present appeal submitted that in the facts of the case particularly the observation made by the trial court in the order impugned dated 29.02.2024 no interference is required and the appeal is liable to be dismissed at admission stage.

12. Considered the submissions of learned Counsel for the parties and perused the records.

13. From the aforesaid, it appears that trial court rejected the application of complainant/appellant preferred under Section 156(3) Cr.P.C. on two grounds. First ground relates to changing the nature of dispute which as per trial court was essentially civil dispute and Second ground relates to discrepancies, in the statements as appears from the impugned order dated 29.02.2024, which reads as under:-

"1. पत्रावली आदेश हेतु नियत है। बहस तलबी के स्तर पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

2. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना जलालपुर में मु0 अ0 सं0 446/2010 धारा-147, 352, 434, 447, 427, 506 भा0दं0सं0 व धारा-3(1)X एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया। उक्त प्रकरण में विवेचक द्वारा विवेचनोपरांत अन्तिम आख्या प्रेषित किया गया। अन्तिम आख्या के विरुद्ध वादी मुकदमा द्वारा प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर सुनवाई के उपरांत न्यायालय द्वारा अन्तिम रिपोर्ट को निरस्त कर प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में स्वयं को धारा-200 द.प्र.सं. व धारा-202 द.प्र.सं. के तहत साक्षी पी0डब्लू01 के रूप में जगजीत व पी0डब्लू0-2 के रूप में रंजीत को परीक्षित कराया गया है।

3. पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी नंदलाल के कथनानुसार चकबंदी अधिकारी जलालपुर के आदेश दिनांक 04.06.2006 के अनुपालन में कानूनगो, लेखपाल एवं तहसील जलालपुर के लेखपाल, थानाध्यक्ष की पूरी टीम एवं महिला पुलिस की उपस्थिति में भूमि संख्या-501, 493, 493/1,493/2,495,496 की पैमाइश करके निशादेही व कब्जा दिनांक 22.07.2010 को दिलाया गया था। उपरोक्त कर्मचारियों के चले जाने के पश्चात विपक्षीगण जिनकी 11 की संख्या प्रार्थी द्वारा बताया गया है के द्वारा नाजायज मजमा कायम करके भूमि की पैमाइश में लगे हुए खूंटे को उखाड़ दिया गया, मेड़ गिरा दिया, जान से मारने की धमकी

दी गयी, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न किया और प्रार्थी व उसके परिवार पर हमलावर हो गये। उपरोक्त के संबंध में प्रार्थी नंदलाल द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा-200 द.प्र.सं में यह अभिकथन किया गया कि समस्त विपक्षीगण ने मिलकर खूंटा उखाड़ कर फेंक दिए तथा मेड़ गिरा दिये। घटना के संबंध में प्रार्थी ने परगनाधिकारी व थानाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र दिया था परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके पश्चात पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया गया तब भी कोई कार्यवाही नहीं हुई और पुनः जब तीसरी बार उसने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया तब उनके आदेश पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई परन्तु विपक्षीगण के प्रभाव में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गयी। प्रार्थी द्वारा धारा-202 द.प्र.सं. के अंतर्गत अपने पुत्रगण जगजीत व रंजीत को परीक्षित कराया गया है जिनके कथनानुसार गाटा संख्या- 501, 493, 493/ 1,493/ 2,495,496 की निशादेही करके कब्जा प्रार्थीगण को दिनांक 22.07.2010 को करा दिया गया था परन्तु कर्मचारियों/अधिकारियों के चले जाने के पश्चात समस्त विपक्षीगण ने मिलकर भूमि में लगे हुए खूंटे को उखाड़ दिया, पेड़ गिरा दिया, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गालियां दिया, जान से मारने की धमकी दी और मारने के लिए हमलावर हो गये। इस प्रकार प्रार्थी के कथन व समस्त बयानों के अनुसार विपक्षीगण जो 11 की संख्या में थे वे प्रार्थी व उसके परिवार पर हमलावर हो गये और उन्हें मारने के लिए टूट पड़े। पत्रावली पर प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के किसी सदस्य की कोई चिकित्सीय आख्या संलग्न नहीं है। यदि प्रार्थी के कथनानुसार 11 की संख्या में लोग हमलावर हो गये थे तो ऐसी स्थिति में साधारण अथवा गम्भीर चोट आना स्वाभाविक है परन्तु पत्रावली पर प्रार्थी पक्ष की ओर से कोई भी चिकित्सीय प्रपत्र प्रस्तुत न करना प्रार्थी के कथन पर संदेह उत्पन्न करता है।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी का कथन है कि विपक्षीगण द्वारा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गयी और पैमाइश में लगे हुए खूंटा को उखाड़ दिया गया और मेड़ को नष्ट कर दिया गया। यदि प्रार्थी के कथनानुसार पैमाइश का कार्य पूर्ण होने के पश्चात विपक्षीगण द्वारा पैमाइश में लगे हुए खूंटा आदि नष्ट किया गया और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गयी तो ऐसी स्थिति में यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त सरकारी कर्मचारियों में से किसी के भी द्वारा कोई प्रार्थना पत्र व शिकायत किसी सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

गवाहों के बयान में यह तथ्य आया है कि विपक्षीगण द्वारा कई लोगों के खेतों में बने हुए मेड़ को गिरा दिया गया तथा खूंटा आदि नष्ट कर दिया गया परन्तु प्रस्तुत मुकदमा में मात्र प्रार्थी व उसके पुत्रगण ही परीक्षित हुए हैं। जिस गांव का मामला प्रार्थी बता रहा है और जिन लोगों के खेतों में बने हुए मेड़ आदि को नष्ट किए जाने का अभिकथन किया गया है उस गांव के किसी भी व्यक्ति को प्रस्तुत मुकदमा में परीक्षित नहीं कराया गया है। यदि गांव में मौजूद अन्य लोग भी इस घटना से प्रभावित हो रहे थे और विपक्षीगण द्वारा उन लोगों के खेतों में भी मेड़ आदि नष्ट किया गया था तो निश्चित ही प्रार्थी को उन लोगों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराना चाहिए था परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा मात्र स्वयं को तथा अपने पुत्रगण को परीक्षित कराया तथा किसी भी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित न कराना भी प्रार्थी के कथन पर संदेह उत्पन्न करता है।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विपक्षीगण द्वारा खूंटा आदि नष्ट करने, जान से मारने की धमकी देने, विपक्षीगण द्वारा हमलावर होने, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गालियां देने व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का कथन किया गया है परन्तु अपने बयान अंतर्गत धारा-200 द.प्र.सं. में मात्र विपक्षीगण द्वारा खूंटा व मेड़ को नष्ट करने का बयान दिया गया है। अन्य तथ्य के संबंध में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई भी बयान न्यायालय के समक्ष नहीं दिया गया है। जबकि प्रार्थी के पुत्रगण द्वारा विपक्षीगण द्वारा जाहति सूचक शब्दों का प्रयोग करने, गाली देने आदि का वर्णन किया गया है। ऐसी स्थिति में साक्षीगण के बयान में परस्पर विरोधाभास परिलक्षित होता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा-147, 352, 434, 447, 427, 506 भा.दं.सं व धारा-3(1)X एससी / एसटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया था। विवेचनोपरांत विवेचक द्वारा गवाहान का बयान, निरीक्षण घटना स्थल, व समई साक्षी के बयान से अपराध का होना नहीं पाया गया और अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी। विवेचक द्वारा वादी नंदलाल का बयान, उसके भतीजे पन्नालाल, पुत्रगण जंगजीत व रंजीत तथा समई साक्षी के रूप में रामदौर व चन्द्रभान निषाद का बयान

दर्ज किया गया। सभी गवाहों के बयान के अनुसार दिनांक 03.10.2010 एवं 05.10.2010 को चकबंदी विभाग के अधिकारीगण एवं उपजिलाधिकारी एवं उनकी टीम द्वारा भूमि की पैमाइश करायी गयी एवं दिनांक 05.10.2010 को सभी पक्षकारों को कब्जा दिला दिया गया। सभी पक्षकारों की जमीन पर मेड़बंदी करके अपने-अपने हिस्से पर काबिज हो चुके हैं और किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। उपरोक्त आधार पर विवेचक द्वारा भी अपराध का घटित होना नहीं पाया गया और इस आधार पर अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी।

बहस के दौरान प्रार्थी की ओर से सूची 15ब से सत्य प्रतिलिपि आदेश उपसंचालक चकबंदी अधिकारी कागज संख्या 16ब/1 ता 16ब/2 दाखिल किया गया है जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा चकबंदी न्यायालय में लखपन्ती आदि के विरुद्ध वाद योजित किया है जो अभी विचाराधीन है जिसमें अग्रिम तिथि 05.03.2024 बहस हेतु नियत है। प्रार्थी के कथनानुसार गाटा संख्या – 501,493, 493/ 1,493/ 2,495,496 के संबंध में चकबंदी अधिकारी के आदेश से निशादेही व कब्जा उसे प्रदान किया गया था परन्तु गाटा संख्या-494 की पैमाइश के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह मामला पूर्णतः दीवानी प्रकृति का है। प्रायः यह देखा जाता है कि सिविल प्रकृति के वादों को केवल आपराधिक वादों का रंग देने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा M/S Indian Oil Corporation vs M/S Npec India Ltd., & Ors, 2006 (6) SCC 736 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि "There is also an impression that if a person could somehow be entangled in a criminal prosecution, there is a likelihood of imminent settlement. Any effort to settle civil disputes and claims, which do not involve any criminal offence, by applying pressure though criminal prosecution should be deprecated and discouraged. In G. Sagar Suri vs. State of UP [2000(2) SCC 636], this Court observed:

"It is to be seen if a matter, which is essentially of civil nature, has been given a cloak of criminal offence. Criminal proceedings are not a short cut of other remedies available in law. Before issuing process a criminal court has to exercise a great deal of caution.

For, the accused it is a serious matter.

This Court has laid certain principles on the basis of which High Court is to exercise its jurisdiction under Section 482 of the Code. Jurisdiction under this Section has to be exercised to prevent abuse of the process of any court or otherwise to secure the ends of justice." माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Sri Gulam Mustafa vs The State of Karnataka 2003 SCC Online SC 603 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है " 36. What is evincible from the extant case-law is that this Court has been consistent in interfering in such matters where purely civil disputes, more often than not, relating to land and/or money are given the colour of criminality, only for the purposes of, exerting extra-judicial pressure on the party concerned, which we reiterate, is nothing but abuse of the process of the court." इसप्रकार प्रस्तुत प्रकरण में यह स्पष्ट है कि दीवानी प्रकृति के वाद को मात्र आपराधिक रंग देने हेतु तथा अतिरिक्त न्यायिक दबाव डालने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

उपरोक्त समस्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी अपने कथानक को साबित करने में प्रथमदृष्टया असफल रहा है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में किए गए कथन का पूर्णरूप से

समर्थन नहीं किया गया है। प्रार्थी के बयान अंतर्गत धारा-200 द.प्र.सं. तथा गवाहों के बयान अंतर्गत धारा-202 द.प्र.सं. में महत्वपूर्ण तथ्यों में विरोधाभास स्पष्ट है। प्रस्तुत प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र गवाह को परीक्षित नहीं कराया गया है तथा दीवानी प्रकृति के वाद के संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मात्र फौजदारी रंग देने हेतु प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है।

अतः मामले के समस्त तथ्य परिस्थितियों को देखते हुए विपक्षीगण को तलब किये जाने का प्रथमदृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्तानुसार परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा-203 द.प्र.सं. निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।"

14. Upon due consideration of aforesaid, it is apparent that essentially the dispute between the parties is of a civil nature and as such this court is of the view that observations/findings of the trial court which is to the effect that to a civil dispute complainant/ appellant wants to cloak of criminal offence, are just and proper. Further, observations/findings regarding discrepancies between the statements has also not been disputed by learned Counsel for the appellant obviously it could not be as it is evident from the statements on record and moreover the complainant/appellant himself has not deposed before the trial court in support of his case set up in the complaint.

15. As such the findings/observations of the trial court are just and proper and for the reasons aforesaid as also for the reason that the complainant/ appellant by means of instituting criminal proceedings wants to use the state machinery for resolving a dispute of civil nature, which is nothing but an abuse of process of law, this Court is not inclined to entertain the present appeal. It is accordingly ***dismissed***. Cost made easy.

Order Date :- 26.04.2024

Jyoti/-